निष्कासन का नोटिस\\nNotice of Exclusion

तिथि:

आदरणीय अभिभावक,

संलग्न सूचना यह है कि आपका बेटा/बेटी Wisconsin Student Immunization कानून का अनुपालन नहीं कर रहा/रही है, जिसके कारण इन्हें को निष्कासित कर दिया जाएगा।

इस तिथि के उपरांत आपके बेटा/बेटी के स्कूल में बने रहने के लिए, आपको निम्नलिखित में से किसी एक का पालन करना होगा:

(1) (1) अपने बेटा/बेटी के मेडिकल रिकॉर्ड या Wisconsin Immunization Registry से स्कूल को उनके आवश्यक टीकाकरण की तिथि (दिन, महीना और वर्ष) प्रदान करें। आपके बेटा/बेटी को वारिसला (चिकनपॉक्स) का टीका न लगाया जाए इसके लिए यह आवश्यक है कि कोई चिकित्सक, चिकित्सक सहायक या एडवांस्ड नर्स प्रिस्क्राइबर उनकी वारिसला बीमारी का इतिहास दर्ज करे। इसके लिए उन्हें यह दर्शाना होगा कि आपके बेटा/बेटी को पहले ये बीमारी हो चुकी है और Student Immunization फॉर्म (DHS Form 04020L) पर हस्ताक्षर करने होंगे। खसरे का रोग (मीज़ल्स), कण्ठमाला का रोग (मम्प्स), रूबेला, हेपेटाइटिस B और चिकनपॉक्स (वारिसला) जैसी बीमारियों के लिए प्रतिरक्षा का प्रयोगशाला प्रमाण भी मान्य होगा।

या

(2) छूट का दावा करें।

ऊपर दी गई जानकारी प्रदान करने के लिए अटैच किए गए Student Immunization रिकॉर्ड का उपयोग करें।

Wisconsin का Immunization कानून बच्चों को टीके लगाकर बचाए जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। इसके अंतर्गत, ज़िले के सरकारी स्कूल जो इस कानून का 99% से कम अनुपालन कर रहे हैं, उन्हें कक्षा पाँच तक के उन सभी छात्रों को निष्कासित करने होगा जो इस कानून का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। यह कानून गैर-सरकारी स्कूलों पर भी लागू होता है। गैर-सरकारी स्कूल जो इस कानून का 99% से कम अनुपालन कर रहे हैं, उन्हें कक्षा पाँच तक के उन सभी छात्रों को निष्कासित करने होगा जो इस कानून का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। अनुपालन न कर रहे छात्रों की श्रेणी में वे सभी छात्र आते हैं जो आवश्यक टीके (या टीकों) को लगाने में पीछे हैं या जिनके स्कूल के रिकॉर्ड में कोई भी टीकाकरण या छूट का दावा दर्ज नहीं है।

आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।